कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रार/मान्यता/ए/आरटीई मान्यता/19654/2019/ दिनांक – 18/02/19.

जिला शिक्षा अधिकारी
~~प्रारम्भिक~~ माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय)
.........(समस्त)

ई–मेल से आज ही

विषय :– आरटीई मान्यता के संबंध में शासन स्तर पर लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति बाबत्।
सन्दर्भ :–शासन पत्रांक –प.12(5) शिक्षा–5/आरटीई दिशा निर्देश/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 08.02.19

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19(2) में प्रावधान है कि राज्य में संचालित ऐसे मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालय जो अधिनियम के लागू होने से पूर्व संचालित है, उन्हें अधिनियम की अनुसूची में वर्णित मान व मानक पूर्ण करने हैं। अधिनियम के लागू होने के समय जो गैर सरकारी विद्यालय मान व मानक पूर्ण नहीं करते उन्हें अपने स्वयं के व्यय पर यह मान व मानक निर्धारित अवधि में पूर्ण करने हैं। इस संबंध में विद्यालय से प्राप्त स्वघोषणा के आधार पर गैर सरकारी विद्यालयों का भौतिक सत्यापन कर उन्हें आरटीई की मान्यता दिए जाने का प्रावधान है।

इस प्रावधान के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों को दी जाने वाली आरटीई मान्यता के संबंध में शासन स्तर लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति में निम्न निर्देश जारी किये जाते है–

1. आरटीई अधिनियम 2009 एवं गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधित) नियम, 2011 के राज्य में लागू होने के बाद जिन गैर सरकारी विद्यालयों को नवीन मान्यता जारी की गई है उनकी सूचना निम्न प्रारूप में तैयार की जाए।

क0सं0	ऐसे विद्यालय जिनको स्थाई मान्यता दी गई है तथा उनके मान्यता प्रमाण पत्र में कोई भी निर्धारित अवधि अंकित नहीं की गई है तथा मान एवं मानक पूरे करने की भी कोई शर्त नहीं डाली गई है।	ऐसे विद्यालय जिनके मान्यता प्रमाण पत्र में मान्यता की निर्धारित अवधि अंकित की गई है लेकिन किसी मान अथवा मानक के अपूर्ण होने की शर्त नहीं डाली गई है।	ऐसे विद्यालय जिनके मान्यता प्रमाण पत्र में मान्यता की निर्धारित अवधि अंकित की गई है तथा किसी अपूर्ण मान अथवा मानक को पूरा करने की शर्त भी डाली गई है।
1	2	3	4

2. जिन गैर सरकारी विद्यालयों के मान्यता प्रमाण–पत्रों में निर्धारित अवधि अथवा किसी मान व मानक को पूरा करने की शर्त डाली गई है उन विद्यालयों से प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि के साथ–साथ अधिनियम के लागू होने के बाद नवीन मान्यता के जारी किये गये प्रमाण पत्र को अपलोड करवाया जाए। इन प्रमाण–पत्रों की वैधता की जांच आपके कार्यालय में उपलब्ध मान्यता प्रमाण–पत्र की प्रति से कर ली जाए।
3. जिन विद्यालयों के मान्यता प्रमाण पत्र वैध पाये जाते है उन विद्यालयों को स्थाई मान्यता प्रमाण पत्र ऑनलाईन जारी किये जाए। साथ ही ध्यान रखा जाए कि गैर सरकारी विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा भूमि रूपान्तरण संबंधी छूट दिए जाने के कारण सशर्त मान्यता दी गई है, वह शर्तें यथावत रखी जाए।
4. यह समस्त कार्य समयबद्ध रूप से सम्पन्न किया जाए तथा इसे अगले शैक्षिक सत्र से पूर्व पूर्ण कर लिया जाए।

www.rajteachers.com

Scanned by CamScanner

5. यदि किसी पात्र गैर सरकारी विद्यालय को निर्धारित अवधि में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा मान्यता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है तो इस विद्यालय को मान्यता प्रमाण पत्र ऑनलाईन ही जारी कर दिया जाएगा तथा सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
6. आरटीई अधिनियम 2009 एवं गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधित) नियम, 2011 के राज्य में लागू होने के पूर्व जिन गैर सरकारी विद्यालयों को मान्यता जारी की गई है उनकी सूचना निम्न प्राऊप में तैयार की जाए:-

क०स०	ऐसे विद्यालयों की संख्या जो आरटीई अधिनियम 2009 लागू होने से पूर्व से संचालित है	ऐसे विद्यालयों की संख्या जिन्होंने आरटीई की मान्यता हेतु स्वघोषणा पत्र जिशिअ कार्यालय में प्रेषित किया है।	ऐसे विद्यालयों की संख्या जिन्हें आरटीई मान्यता का प्रमाण पत्र जारी किया गया है	ऐसे विद्यालयों की संख्या जिनके आरटीई मान्यता प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है
1	2	3	4	5

उक्त सूचना दिनांक 21.02.19 तक ई-मेल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें तथा समस्त कार्य समय पर पूर्ण करें। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

14-02-19

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रा.शि) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान प्रारिम्भक शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर।
4. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, राजस्थान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र के क्रम में अपने अधिनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों पर प्रभावी पर्यवेक्षण कर सूचना दिनांक 18.02.19 को कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. श्री विनोद जैन, तकनिकी निदेशक एवं प्राईवेट स्कूल पोर्टल प्रभारी, एनआईसी, शिक्षा संकुल, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त टाईम फ्रेम एवं निर्देशों के अनुसार आवश्यक मॉड्यूल/रिपोर्टस का निर्माण प्राईवेट स्कूल पोर्टल पर करावें एवं इन विद्यालयों की मान्यता के समयबद्ध निस्तारण हेतु जिशिअ प्राशि/माशि के साथ 25 फरवरी 2019 अथवा उपलब्ध स्लॉट के आधार पर वीसी की बुकिंग करवाकर ई-मेल ddrtebknr@gmail.com तथा secedurte@gmail.com पर सूचित करावें ताकि समस्त जिशिअ को बुकिंग दिनांक को वी.सी. में भाग लेने हेतु निर्देशित किया जा सके।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रा.शि) विभाग
राजस्थान, बीकानेर